

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यस्थापक

सुशीला एच डी एस के द्वारा जॉब हेतु प्रस्तुत किया गया प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों को जॉच किया गया, जॉचोपरान्त उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाया गया इस संदर्भ में पत्र निर्गत की तिथि से एच ७५ के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

सन्धारण- पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि व्यस्थापक-

1. प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों को अपने प्रतिष्ठान निर्देशित स्थानों पर रखेंगे। तथा उसका सन्धारण आई०एस० 2190/1997 के अनुरूप करेंगे जिससे उसमें तकनिकी खराबी न आ पाये सन्धारण के कमी के कारण यंत्रों में आने वाली खराबी की जिम्मेवारी व्यस्थापक की होगी।
2. कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों को यंत्रों के संचालन विधि को अवगत करा देंगे। जिससे आग के प्रथम स्टेज पर ही शमन किया जा सकें।
3. वर्ष में कम से कम दो बार मौक ड्रिल करायेंगे।
4. नेशनल बिल्डिंग कोर्ड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यवस्था यथा शीघ्र शुनिश्चित करेंगे।
5. वर्ष में एक बार अग्निशमक व्यवस्था की जॉच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. ए०बी०सी०-04 के०जी० ABC 5 (पीएम) मधु
- ए०बी०जी०-06 के०जी०
- सी०ओ००२- 02 के०जी०
- सी०ओ००२- .5 के०जी० = ००२ 1 (ए०) मधु

ए०एल २५५ - २ (के) मधु

विश्वासभाजन
फा० न० ११११

पत्रांक 132 फा० न० मधुबनी, दि. 11-3-21
कार्यालय अग्निशमन अग्निशमलय पदाधिकारी, मधुबनी।

अधिष्ठान अग्निशमन पदाधिकारी
मधुबनी

प्रतिलिपि:- व्यस्थापक सुशीला एच डी एस के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियाार्थ।

(एच ७५)